बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

पत्रांक–16/आरोप–05–08/2025 1463 /न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक–17/4/25

पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पत्रांक–2307 दिनांक–19.11.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावादल के द्वारा दिनांक–14.11.2019 को परिवादी श्री उमेश प्रसाद से श्री सुधीर कुमार, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, नरकटियागंज, पश्चिमी चम्पारण को ₹50,000 (पचास हजार रूपये) रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी, मुजफ्फरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से आदेशानुसार उन्हें न्यायिक हिरासत में शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर भेजा गया है तथा उक्त पत्र द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि श्री सुधीर कुमार (बि0न0से0), तत्कालीन नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, नरकटियागंज के विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं0–044/2019 दिनांक–13.112019 धारा–7 (a) भ0नि0 अधि0, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) दर्ज किया गया है।

2. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के उक्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री कुमार द्वारा अपने पद का भ्रष्ट दुरूपयोग कर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने तथा उनका यह आचरण लोक सेवक के प्रतिकूल एवं भ्रष्टाचार का परिचायक होने के आलोक में बिहार सरकारी सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (2) (क) के प्रावधानानुसार 48 घंटे से ज्यादा अवधि से कारा निरूद्ध रहने की स्थिति में श्री सुधीर कुमार, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, नरकटियागंज, पश्चिमी चम्पारण को कारा में निरूद्ध की तिथि यथा दिनांक–14.11.2019 के प्रभाव से विभागीय अधिसूचना सं0–6737 दिनांक–24.12.2019 द्वारा निलंबित किया गया।

3. श्री सुधीर कुमार द्वारा जमानत प्राप्त कर दिनांक–14.07.2020 को नगर विकास एवं आवास विभाग में दिये गये योगदान के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9 (3) (i) के प्रावधानानुसार उन्हें दिनांक–14.07.2020 के प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका योगदान स्वीकृत किया गया। श्री कुमार के विरूद्ध आरोप की गंभीरता के मद्देनजर तथा उक्त आरोपों के सापेक्ष उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने के निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0–08 दिनांक–05.01.2021 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9 (1) (क) तथा 9 (3) (ii) के तहत पुनः तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित किया गया तथा निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, भागलपुर का कार्यालय निर्धारित किया गया (अनुलग्नक–3)। श्री कुमार के अनुरोध के आलोक में बाद में उनका मुख्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर का कार्यालय निर्धारित किया गया है।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री सुधीर कुमार, तत्कालीन नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, नरकटियागंज सम्प्रति निलंबित मुख्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, भागलपुर का कार्यालय के विरूद्ध निम्नवत आरोप पत्र गठित किया गया :–

(i) पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पत्रांक–2307 दिनांक–19.11.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावादल के द्वारा दिनांक–14.11.2019 को परिवादी श्री उमेश प्रसाद से श्री सुधीर कुमार, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, नरकटियागंज, पश्चिमी चम्पारण को ₹50,000 (पचास हजार रूपये) रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी, मुजफ्फरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से आदेशानुसार उन्हें न्यायिक हिरासत में शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर भेजा गया है।

(ii) उक्त पत्र द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि श्री सुधीर कुमार (बि0न0से0), तत्कालीन नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, नरकटियागंज के विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं0–044/2019 दिनांक–13.11.2019 धारा–7 (a)/ भ0नि0अधि0, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) दर्ज किया गया है।

(iii) उपर्युक्त कंडिका–1 में वर्णित अनियमितता से स्पष्ट है कि श्री कुमार अपने पद का दुरूपयोग कर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किये गये। उनका यह कृत्य लोक सेवक के आचरण के प्रतिकूल एवं भ्रष्टाचार का परिचायक है। उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम–3 (1) (i), (ii) एवं (iii) का उल्लंघन है।

5. आरोप की गंभीरता को देखते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–09 दिनांक–05.01.2021 द्वारा श्री सुधीर कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अरविन्द कुमार झा, संयुक्त सचिव–सह–सहायक निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग को संचालन पदाधिकारी तथा प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01 को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया। श्री अरविन्द कुमार झा, संयुक्त सचिव–सह–सहायक निदेशक–सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा अधिगम समर्पित नहीं करने तथा उनके सेवानिवृत होने जाने के फलस्वरूप श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1508 दिनांक–06.06.2022 द्वारा श्री राहुल बर्मन, उप सचिव को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित कर पत्रांक–639 दिनांक–04.08.2023 द्वारा अधिगम समर्पित किया गया। अधिगम त्रुटिपूर्ण होने के कारण पुनः विभागीय पत्रांक–6143 दिनांक–04.10.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही की पुनः समीक्षा के पश्चात् अधिगम समर्पित करने का संचालन पदाधिकारी से अनुरोध किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा अधिगम की पुनः समीक्षा कर पत्रांक–876 दिनांक–12.12.2023 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री सुधीर कुमार, तत्कालीन नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, नरकटियागंज सम्प्रति निलंबित मुख्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर का कार्यालय के विरूद्ध विहित प्रपत्र में गठित सभी आरोपों को प्रमाणित पाया गया।

6. श्री सुधीर कुमार, तत्कालीन नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, नरकटियागंज सम्प्रति निलंबित मुख्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए उनसे विभागीय पत्रांक–709 दिनांक–31.01.2024 द्वारा लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन की मांग की गई। प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में पुनः पत्रांक–1368 दिनांक–22.02.2024 द्वारा स्मारित किया गया। उक्त के आलोक में श्री कुमार द्वारा दिनांक–06.03.2024 को लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। श्री कुमार ने अपने लिखित अभिकथन में निगरानी विभाग की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास किया है, किन्तु उनके द्वारा कोई ठोस तथ्यात्मक साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया जा सका है, जिससे की उनकी निर्दोषिता सिद्ध हो सके।

7. उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के लिए विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर इन्हें संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर देते हुए विधिवत विभागीय कार्यवाही का संचालन किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाये गये सभी आरोपों के आधार पर श्री कुमार से दो बार लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन की मांग की गई, किन्तु श्री कुमार द्वारा लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन में निगरानी विभाग की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास किया है।

8. इस प्रकार स्पष्ट है कि श्री सुधीर कुमार (बि०न०से०), तत्कालीन नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, नरकटियागंज सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर का कार्यालय) द्वारा अपने पद का भ्रष्ट दुरूपयोग कर ₹50,000 (पचास हजार रूपये) रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किये गये। उनका यह कृत्य लोक सेवक के आचरण के प्रतिकूल एवं भ्रष्टाचार का परिचायक है तथा उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम–3 (1) (i), (ii) एवं (iii) का उल्लंघन होने का आरोप प्रमाणित होता है। साथ ही श्री कुमार का यह कृत्य सरकार की जीरो टॉलेरेंस नीति के विरूद्ध है। उक्त के आलोक में श्री कुमार सरकारी सेवा में बने रहने के योग्य नहीं है और उनका यह कृत्य वृहद दण्ड के योग्य है।

9. अतः श्री कुमार के विरूद्ध विहित प्रपत्र में गठित आरोप प्रमाणित पाये जाने के आलोक में अनुशानिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 2(14)(XI) के तहत वृहद दण्ड स्वरूप इन पर "सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिये निरर्हता होगी" का दण्ड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

10. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0–9794 दिनांक–22.07.2019 के नियम–12 के परंतु के अनुसार वृहत दण्ड अधिरोपित किये जाने अथवा पेंशन से कटौती किये जाने की स्थिति में भी लेवल–9 से नीचे के पद पर मौलिक रूप से, किसी भी आयोग की अनुशंसा से, नियुक्त किये जाने वाले सरकारी सेवकों के विषय

में दण्ड अथवा पेंशन कटौती संबंधी आदेश देने से पहले सरकार के लिये आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

11. अतएव श्री सुधीर कुमार, (बि0न0से0), (ग्रेड पे 4600/– सम्प्रति वेतन स्तर–7) तत्कालीन नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, नरकटियागंज सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर का कार्यालय) को इनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली 2007 के नियम 2 (14) (xi) के तहत वृहत दण्ड स्वरूप इन पर **"सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिये निरर्हता होगी"** का दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता है।

12. श्री सुधीर कुमार, बि0न0से0, के **"सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिये निरर्हता होगी"** के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक–08.04.2025 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या–02 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

15/4/25

(अभय कुमार सिंह),
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–16/आरोप–05–08/2025 1463 /न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक–17/4/25

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (ई–गजट प्रशाखा), बिहार,पटना को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

15/4/25

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–16/आरोप–05–08/2025 1463 /न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक–17/4/25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि० (बुडको)/जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद एवं नगर पंचायत/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/श्री राहुल बर्मन, उप सचिव–सह–संचालन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री सुधीर कुमार, तत्कालीन नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, नरकटियागंज (पश्चिमी चम्पारण) सम्प्रति निलंबित मुख्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर का कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Speed Post

स्थायी पता– श्री सुधीर कुमार, पिता–स्व० राम दास, मुहल्ला–नुन का चौराहा, थाना–खाजेकला, पटना सिटी, जिला–पटना, पिन–800008 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अपर सचिव, मंत्रमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की दिनांक–08.04.2025 की बैठक में मद संख्या 02 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–श्री पंकज कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

15/4/25

सरकार के सचिव।